

न्यायालय तहसीलदार/नायब तहसीलदार गडरारोड़, जिला बाडमेर

राजस्व प्रकरण संख्या अन्तर्गत राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91

सायल

103/2019

गैरसायल

राजस्थान सरकार जरिये

बनाम

श्री. जलाल

पुत्र

निरेश्वर

पटवारी हल्का

चेतरोड़ी

जाति मु.ल.क.स.ग.

निवासी

चेतरोड़ी की हल्का

तहसील गडरारोड़ जिला बाडमेर।

निर्णय

पत्रावली आज बमुकाम गडरारोड़ में पेश हुई गैरसायल की उप./अनु. 1 पत्रावली का हमने अवलोकन किया संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का चेतरोड़ी ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि गैर सायल ने ग्राम चेतरोड़ी की खसरा नम्बर 1852 रकबा 44.05 बीघा में से 11.00 बीघा किस्म गन्ना राजकीय भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार गैर सायल के विरुद्ध धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट 1956 के तहत मुकदमा दर्ज रजिस्ट्रर कर गैर सायल को जरिये नोटिस के सुनवाई हेतु तलब किया गया।

अतः गैर सायल को आर.एल.आर. एक्ट 1956 धारा 91 का उल्लंघन करने पर गैरसायल को अतिक्रमी घोषित किया जाकर उक्त राजकीय भूमि से बेदखल करने के आदेश पारित किये जाते हैं साथ ही वार्षिक लगान का 50 गुणा जुर्माना राशि रुपये 50 अक्षर पच्चाह रुपये मात्र से आरोपित किया जाता है। जो गैर सायल से वसूल हों।

निरीक्षक भू अभिलेख गडरारोड़ को आदेशित किया जाता है कि वह मौके पर खड़ी फसल को तत्काल कब्जा बहक सरकार प्राप्त फसल निलामी फर्द वास्ते अनुमोदनार्थ एवम स्वीकृति हेतु 15 योम में पेश करे। पटवारी हल्का को आदेशित किया जाता है कि वह गैरसायल को भौतिक रूप से बेदखल कर भूमि का कब्जा बहक सरकार प्राप्त कर पूर्ण पालना आवश्यक रूप से एक माह में पेश करे। पत्रावली टी.आर.ए. को मांग कायमी हेतु भेजी जावे।

निर्णय दिनांक 05.11.19 को सरेआम सुनाया गया।

तहसीलदार गडरारोड़

जुमाना 50% फसल नि. 700
कुल योग 7.50 जि.के पृष्ठ सं. 40
वर्ष 2019-20 में इन्द्राज किया गया।

तहसील राजस्व लेखाकार